



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072020-220322
CG-DL-E-02072020-220322

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2020/आषाढ 10, 1942

No. 248]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2020/ASHADHA 10, 1942

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(मुख्य कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2020

फा. सं.सम्मे.5(5)/2012/दिल्ली./30.— कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, इसके आगे “योजना” के रूप में संदर्भित, के अनुच्छेद 5 के साथ पठित अनुच्छेद 4 के उप अनुच्छेद (1) के अनुसरण में, तथा, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. सम्मे.5(5)/2012/दिल्ली/18781 दिनांक 10.10.2012 का अधिक्रमण करते हुए अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.), एतद्वारा दिल्ली राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, यथा :—

क्र.सं.	सदस्य का नाम एवं पदनाम	के रूप में नियुक्ति (योजना के संबंधित पैरा के अंतर्गत)
1.	सचिव, श्रम, जी.एन.सी.टी.डी.	अध्यक्ष [अनुच्छेद 4 (1) (ए) के अंतर्गत]
2.	डॉ. राजेंद्र धर, अपर श्रम आयुक्त, जी.एन.सी.टी.डी.	राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किए गए सदस्य [अनुच्छेद 4 (1) (बी) के अंतर्गत]
3.	श्री के. आर. वर्मा, अपर श्रम आयुक्त, जी.एन.सी.टी.डी.	
4.	श्री एस. के. सरकार, प्रोप्राइटर, सरकार & एसोसिएट्स, के-45, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली - 48. एसोचैम (ASSOCHAM)	नियोक्ता के प्रतिनिधि [अनुच्छेद 4 (1) (सी) के अंतर्गत]

5.	श्री विनय जैन, अध्यक्ष, नरेला चैम्बर वाणिज्य और उद्योग संघ.	
6.	श्री मंजीत अहलूवालिया, सचिव, हिंद मजदूर संघ, दिल्ली	कर्मचारियों के प्रतिनिधि [अनुच्छेद 4 (1) (डी) के अंतर्गत]
7.	श्री सुहैल अहमद, संयुक्त सचिव, श्रमिक विकास संगठन, दिल्ली	
8.	केंद्रीय बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य, जो सामान्यतः राज्य के निवासी हैं।	केंद्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) के गैर आधिकारिक सदस्य [अनुच्छेद 4 (1) (ई) के अंतर्गत]
9.	श्री रमेश कुमार, एल-52, लोखंड भवन, विकास नगर, हस्तशाल, उत्तम नगर, नई दिल्ली (मोबाइल - 9868815915).	अतिरिक्त सदस्य (कर्मचारी के प्रतिनिधि) [अनुच्छेद 4 (1) के परंतुक के अंतर्गत]
10.	श्री योगेन्द्र राय डब्ल्यूबी-11, गली नंबर 1 शकरपुर, नई दिल्ली -110092 (मोबाइल - 9911175611).	
11.	श्री प्रेम सिंह नागर, बी-54-55, जी. डी. कॉलोनी, शिव मंदिर, मयूर विहार, नई दिल्ली (मोबाइल - 9868185262).	

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य के प्रभारी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य के सचिव होंगे।
- क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगा। हालांकि, प्रत्येक सदस्य अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि सरकारी राजपत्र में उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति अधिसूचित नहीं हो जाती।
- यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

सुनील बड़थवाल, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

[विज्ञापन III/4/असा./108/2020-21]

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(HEAD OFFICE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2020

F. No. Conf. 5(5)2012/Delhi/30.—In accordance with the provisions of sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Funds Scheme 1952, hereinafter referred to as "Scheme", and in supersession of the Notification No. Conf. 5(5)2012/Delhi/18781 dated 10.10.2012 issued by the Central Provident Fund Commissioner, New Delhi, the Chairman, Central Board of Trustees, (EPF) hereby constitutes a Regional Committee for the State of NCT of Delhi consisting of the following persons, namely:—

Sl. No.	Name & Designation of the member	Appointment As (under relevant Para)
1.	Secretary Labour, GNCTD.	Chairman [Under Para 4(1)(a)]

2.	Dr. Rajender Dhar, Addl. Labour Commissioner, GNCTD.	Members recommended by the State Government [Under Para 4(1)(b)]
3.	Sh. K. R. Verma, Addl. Labour Commissioner, GNCTD.	
4.	Sh. S. K. Sarkar, Proprietor, Sarkar & Associates, K-45, Kailash Colony, New Delhi-48. ASSOCHAM	Employers' Representatives [Under para 4(1)(c)]
5.	Sh. Vinay Jain, President, Narela Chamber of Commerce & Industrial Association.	
6.	Sh. Manjeet Ahluwalia, Secretary, Hind Mazdoor Sangh Delhi.	Employees' Representatives [Under Para 4(1)(d)]
7.	Sh. Suhail Ahmed, Jt. Secretary, Shramik Vikas Sangathan, Delhi.	
8.	The non-official members of the Central Board ordinarily resident in the State.	Non-Official Members of CBT (EPF) [Under Para 4(1)(e)]
9.	Shri Ramendra Kumar, L-52, Lokhandia Bhawan, Vikash Nagar, Hastashaal, Uttam Nagar, New Delhi (Mob-9868815915).	Additional Employees' Representatives [Under proviso to Para 4(1)]
10.	Shri Yogendra Rai WB-11, Gali No. 1 Shakarpur, New Delhi-110092 (Mob-9911175611).	
11.	Shri Prem Singh Nagar, B-54-55, GD Colony Shiv Mandir, Mayur Vihar, New Delhi (Mob-9868185262).	

2. The Additional Central Fund Commissioner in charge of the State of NCT of Delhi shall be the Secretary of the Regional Committee for the State of NCT of Delhi.

3. The term of office of the Chairman and every member of the Regional Committee shall be three years commencing on and from the date on which their appointment is notified in the Official Gazette. However, every member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

4. This will come into force with immediate effect.

SUNIL BARTHWAL, Central Provident Fund Commissioner

[ADVT.-III/4/Extty./108/2020-21]